महत्वपूर्ण

संख्या-7/1300/26-3-2014-4(358)/07-टी0सी0-3

प्रेषक,

के0राम मोहन राव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के कार्यान्वयन हेतु समय सारिणी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1076/26-3-2014-4(358)/07-टी0सी0-3, दिनांक-15.07.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षण सत्र 2014-15 के लिए दशमोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना नियमावली-2012 में उल्लिखित प्राविधानों को लागू करने हेतु समय-सारणी निर्धारित की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-15.07.2014 में निर्गत समयसारणी के क्रमांक-1 से 6 तक अंकित (मास्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों को शामिल करने) विभिन्न प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों के लिये निर्धारित की गयी समयसीमा को बढ़ाकर दिनांक-25.08.2014 तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

शेष प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों के लिये पूर्व में निर्धारित की गयी तिथि यथावत रहेंगी।

भवदीय,
के0राम मोहन राव
सचिव

संख्या-1300(1)/26-3-2014 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in